



राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)

कैम्प:- ग्रामीण सेवा शिविर-2025

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

-:: आदेश ::-

प्रार्थी खातेदारी के खाता दुरस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार मण्डल- खानमीन..... व भू
- अभिलेख निरीक्षक, वृत्त- खैरवाडा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार खैरवाडा की अनुशंसा के आधार पर
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम- .. खानमीन
..... पटवार मण्डल- खानमीन..... तहसील- खैरवाडा जिला - उदयपुर की
जमाबन्दी संवत्- 2075-2078..... में खाता संख्या-303 में वर्तमान दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित
रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज करने के आदेश दिये जाते हैं -

राजस्व ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
करनाउवा	303	SBBJ खैरवाडा	SBI खैरवाडा

पीठासीन अधिकारी
सहाय उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर (खैरवाडा)
जिला - उदयपुर (राज0)

क्रमांक :- सेवा शिविर-2025/17/2025/1453

दिनांक :-17.09.2025

प्रतिलिपी :-

1. तहसीलदार, खैरवाडा को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
2. प्रार्थी श्री नाथु पुत्र लखमा..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर खैरवाडा
जिला - उदयपुर (राज0)